न्यायाधीश, मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण, बालोतरा (राज॰)

पीठासीन अधिकारी : एम.आर. सुथार, (आर.जे.एस.)
जिला न्यायाधीश संवर्ग

एमएसीटी मूल क्लेम संख्या : 141/2022
सीआईएस नंबर : 141/2022
CNR : RJBA010009482022

मूलचन्द पुत्र पुखराज, उम्र 33 वर्ष, निवासी जसोल, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा (राज.)

––प्रार्थी

बनाम

01. माधोसिंह उर्फ माधाराम पुत्र प्रभुसिंह, निवासी पुरोहितों का वास, मायलावास, तहसील व पुलिस थाना सिवाना, जिला बलोतरा (राज.)
(चालक व मालिक वाहन नंबर आर जे 39 सी ए 3743)
02. Universal Sompo General Insurance Company Ltd. Plot NO. EL–94, KLS Tower, TTC Industrial Area, MIDC Mahape, Navi Mumbai (Maharastra) 400710
(बीमा कंपनी वाहन नंबर आर जे 39 सी ए 3743)

–– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 166 मोटरयान अधिनियम, 1988
संशोधित अधिनियम 1994

उपस्थित:–
01. श्री करणसिंह सोलंकी, विद्वान अधिवक्ता, प्रार्थी की ओर से ।
02. अप्रार्थी संख्या 01 अनुपस्थित (एकपक्षीय दिनांक 21.11.2024)
03. श्री गणेश कुमार, विद्वान अधिवक्ता, अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से ।

– <u>निर्णय</u> –

दिनांक: 01.09.2025

1. प्रार्थी मूलचन्द द्वारा यह क्लेम याचिका अप्रार्थीगण के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम 1988 संशोधित अधिनियम 1994 की धारा 166 के तहत दुर्घटना में आयी चोटों के संबंध में मुआवजे हेतु दिनांक 27.07.2022 को पेश की गयी ।
2. प्रकरण के संक्षिप्त में सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं कि आहत मूलचंद दिनांक

23.02.2022 को सुबह लगभग 05.30 बजे विश्वकर्मा मंदिर जाने वाले रास्ते से जसोल–नाकोड़ा मैन रोड़ पर वॉकिंग करने चढ़ा तब जसोल फांटा की तरफ से एक वेगन आर कार रजि. नंबर आर जे 39 सी ए 3743 के चालक माधुसिंह ने गाड़ी को लापरवाहीपूर्वक और तेज गति से चलाते हुए आहत के पीछे टक्कर मार दी जिससे उसके बायें पैर की साथल व बायें हाथ में गंभीर चोटें कारित हुईं। दुर्घटना की रिपोर्ट आहत के पिता पुखराज ने दिनांक 23.02.2022 को पुलिस थाना बालोतरा में पेश की गयी, जिस पर प्रकरण सीआर नं. 109/2022 अंतर्गत धारा 279, 337 भारतीय दण्ड संहिता में पंजीबद्ध किया गया। अनुसंधान उपरांत अप्रार्थी संख्या 01 माधोसिंह उर्फ माधाराम द्वारा वेगन आर कार नंबर आर जे 39 सी ए 3743 को तेज गति व लापरवाही से चलाकर दुर्घटना कारित किया जाना साबित मानते हुए आरोप पत्र पेश किया। प्रार्थी ने दुर्घटना के परिणामस्वरूप हुई क्षतिपूर्ति हेतु विभिन्न मदों में माफिक याचिका मुआवजा दिलाए जाने का निवेदन किया।

3. अप्रार्थी संख्या 01 बावजूद तामील असालतन वकालतन गैर हाजिर रहने से उसके विरुद्ध दिनांक 21.11.2024 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

4. अप्रार्थी संख्या 03 बीमा कम्पनी ने जवाब प्रस्तुत कर क्लेम याचिका में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार कर कथन किया है कि अप्रार्थी संख्या 01 उसके वाहन कार नंबर आर जे 39 सी ए 3743 को धीमी गति एवं सावधानीपूर्वक चालित करते हुए जा रहा था। वाहन जैसे ही जसोल नाकोड़ा रोड़ पर पहुँचा तब एक व्यक्ति रोड़ क्रोस करने के चक्कर में लापरवाहीपूर्वक भाग कर उसकी स्वयं की गलती से अप्रार्थी द्वारा चालित वाहन से टकरा गया जिससे उक्त दुर्घटना कारित हुई है इसलिए घायल स्वयं की गलती के कारण घटित हुई दुर्घटना के लिए अप्रार्थी बीमा कंपनी को क्षतिपूर्ति राशि अदा करने हेतु कतई जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। वाहन बीमा पॉलिसी की शर्तों के उल्लंघन में चलाया जा रहा था। अतः क्लेम याचिका अप्रार्थी संख्या 03 बीमा कंपनी के विरुद्ध खारिज करने का निवेदन किया।

5. उभय पक्षों के अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित विवाद्यक कायम किए गए:–

01. आया दिनांक 23.02.2022 को सुबह लगभग 05.30 बजे सरहद मौजा जसोल–नाकोड़ा मैन रोड़ पर अप्रार्थी संख्या 01 ने वाहन वेगन आर कार नंबर आर जे 39 सी ए 3743 को तेज गति व लापरवाही से चलाते हुए आहत मूलचंद को पीछे से टक्कर मारकर दुर्घटना कारित की जिसके परिणास्वरूप प्रार्थी/आहत मूलचंद के साधारण व गंभीर चोटें कारित हुई ?

– प्रार्थी

02. आया प्रार्थी अपने क्लेम प्रार्थना पत्र में दिए गए विवरण के अनुसार अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 02 से संयुक्त व पृथक–पृथक क्लेम राशि 11,60,000/– प्राप्त करने का अधिकारी है ?

– प्रार्थी

03. आया अप्रार्थी संख्या 02 के जवाब के "विशेष आपत्तियाँ" नामक शीर्षक में उल्लेखित प्रतिरक्षाओं का क्लेम प्रार्थना पत्र पर क्या प्रभाव है?

– अप्रार्थी संख्या 02 बीमा कंपनी

04. अनुतोष ?

6. प्रार्थी की ओर से अपने पक्ष के समर्थन में ए.डब्ल्यू. 01 स्वयं आहत मूलचंद के कथन करवाये एवं दस्तावेजी साक्ष्य में दुर्घटना से संबंधित फौजदारी प्रकरण, इलाज से संबंधित व अन्य दस्तावेज प्रदर्श 01 से 74 तक प्रदर्शित करवाये गये हैं ।

7. अप्रार्थी बीमा कंपनी की ओर से बावजूद अवसर कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई।

8. बहस सुनी गयी । प्रार्थी के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि वेगन आर कार नंबर आर जे 39 सी ए 3743 के चालक अप्रार्थी संख्या 01 माधोसिंह उर्फ माधाराम द्वारा कार को तेज गति व लापरवाही से चलाकर आहत मूलचंद के पीछे से टक्कर मारने से दुर्घटना कारित हुई है । दुर्घटना में आहत के बायें पैर व हाथ में गंभीर प्रकृति की व शरीर पर जगह–जगह साधारण प्रकृति की चोटें आई । पुलिस द्वारा बाद अनुसंधान अप्रार्थी संख्या 01 माधोसिंह उर्फ माधाराम की लापरवाही साबित मानते हुए उसके विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है । अतः माफिक क्लेम

याचिका मुआवजा दिलाने का निवेदन किया ।

9. प्रार्थी की ओर से दिये गये तर्कों का विरोध करते हुए अप्रार्थी संख्या 03 बीमा कम्पनी के अधिवक्ता ने लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि उनके द्वारा तथाकथित दुर्घटना में लिप्त तथाकथित वाहन संख्या आर जे 39 सी ए 3743 के लिए stand–alone motor own damage policy जारी की गई थी जिसमें थर्ड पार्टी बीमा नहीं होने से थर्ड पार्टी रिस्क कवर नहीं है । उनकी बीमा कंपनी द्वारा थर्ड पार्टी की क्षतिपूर्ति हेतु किसी प्रकार का प्रीमियम नहीं लिया गया है । पॉलिसी के तहत थर्ड पार्टी रिस्क कवर नहीं होने के कारण बीमा कंपनी को क्षतिपूर्ति अदायगी के दायित्व से उन्मोचित किया जाये । उक्त वाहन के लिए थर्ड पार्टी रिस्क कवर के लिए HDFC ERGO Gen. Insu. Co. Ltd. से बीमा करवाया गया है । HDFC ERGO Gen. Insu. Co. Ltd. आवश्यक पक्षकार है जिसके अभाव में क्लेम चलने योग्य नहीं है । अतः अप्रार्थी संख्या 02 बीमा कंपनी के विरुद्ध क्लेम याचिका अस्वीकार कर खारिज करने का निवेदन किया ।

10. उभय पक्षकारान् की ओर से दिये गये तर्कों को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया जिस पर विवाद्यकवार मेरा निष्कर्ष इस प्रकार हैः–

<u>विवाद्यक संख्या 01</u>

11. इस विवाद्यक को साबित करने का भार प्रार्थी पर था । ए.डब्ल्यू. 01 मूलचंद ने उसके मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र में यह कथन किया है कि वह दिनांक 23.02.2022 को सुबह लगभग 05.30 बजे विश्वकर्मा मंदिर जाने वाले रास्ते से जसोल–नाकोड़ा मैन रोड़ पर वॉकिंग करने चढ़ा तब जसोल फांटा की तरफ से एक वेगन आर कार रजि. नंबर आर जे 39 सी ए 3743 के चालक माधुसिंह ने उसकी कार को लापरवाहीपूर्वक और तेज गति से चलाते हुए उसके पीछे टक्कर मार दी । दुर्घटना में उसके बायें पैर की जांघ व बायें हाथ में गंभीर चोट लगने से फ्रेक्चर हो गया तथा शरीर पर जगह–जगह गंभीर एवं साधारण चोटें कारित हुईं । दस्तावेजी साक्ष्य में दुर्घटना से संबंधित फौजदारी प्रकरण के दस्तावेज प्रदर्श 01 लगायत प्रदर्श 18 प्रदर्शित करवाए हैं । प्रतिपरीक्षण में यह अस्वीकार किया है कि वह मोटरसाईकिल को तेज गति व लापरवाही से चलाते हुए स्लीप होकर नीचे गिरा हो । इस कथन को गलत बताया है कि रोड़ टूटी होने

से वह ठोकर खाकर स्वयं गिरा हो एवं नीचे गिरने से उसे चोटें आई हों । यह भी अस्वीकार किया है कि वह लापरवाही से सड़क क्रोस कर रहा हो तब उसकी स्वयं की गलती से दुर्घटना हुई हो । यह अस्वीकार किया है कि दुर्घटना किसी अज्ञात वाहन से हुई हो । इस कथन को गलत बताया है कि अप्रार्थी संख्या 01 को उसने घटना के वक्त नहीं देखा हो । यह अस्वीकार किया है कि अप्रार्थी संख्या 01 की दुर्घटना में कोई गलती नहीं हो और वह उसके वाहन को धीमी गति से चला रहा हो ।

12. ए.डब्ल्यू. 01 आहत मूलचंद ने वाहन वेगन आर कार नंबर आर जे 39 सी ए 3743 के चालक अप्रार्थी संख्या 01 माधोसिंह द्वारा वाहन को तेज गति व लापरवाही से चलाते हुए उसके पीछे टक्कर मारने से दुर्घटना कारित होना बताया है । उक्त गवाह से की गई जिरह में ऐसा कोई कथन परिलक्षित नहीं हुआ है, जो गवाह द्वारा मुख्य परीक्षण में किए गए कथनों से प्रतिकूल हो ।

13. लिखित रिपोर्ट प्रदर्श 04 में घटना दिनांक 23.02.2022 को सुबह 05.30 बजे की होना बताया है एवं रिपोर्ट दिनांक 23.02.2022 को 02.30 पीएम पर प्रस्तुत की गई है, जो देरीना प्रस्तुत नहीं की गई है ।

14. आहत के चोट प्रतिवेदन प्रदर्श 06 व एक्स–रे रिपोर्ट प्रदर्श 07 के अवलोकन से उसके शरीर पर गंभीर व साधारण प्रकृति की चोटें कारित होना पाया जाता है । दस्तावेज प्रदर्श 10 नोटिस 133 एमवी एक्ट के जवाब में वाहन मालिक मादाराम ने वक्त दुर्घटना वाहन संख्या आर जे 39 सी ए 3743 पर चालक वह स्वयं होना बताया है एवं पुलिस ने भी अनुसंधान उपरांत वाहन वेगन आर रजि. नंबर आर जे 39 सी ए 3743 के चालक अप्रार्थी संख्या 01 माधोसिंह उर्फ माधाराम की दुर्घटना में उपेक्षा एवं लापरवाही मानते हुए धारा 279, 337, 338 भारतीय दंड संहिता के अपराध में आरोप पत्र पेश किया गया है ।

15. प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से यह तथ्य साबित है कि दिनांक 23.02.2022 को सुबह लगभग 05.30 बजे सरहद मौजा जसोल–नाकोड़ा मैन रोड़ पर अप्रार्थी संख्या 01 ने वाहन वेगन आर कार नंबर आर जे 39 सी ए 3743 को तेज गति व लापरवाही से चलाते हुए आहत मूलचंद के पीछे से टक्कर मारकर दुर्घटना कारित की जिसके परिणास्वरूप प्रार्थी/आहत

मूलचंद के साधारण व गंभीर चोटें कारित हुईं । अतः विवाद्यक संख्या 01 प्रार्थी के पक्ष में एवं अप्रार्थीगण के विरुद्ध तय किया जाता है ।

<u>विवाद्यक संख्या 02</u>

16. विवाद्यक संख्या 02 के संबंध में ए.डब्ल्यू. 01 आहत मूलचंद ने साक्ष्य के सशपथ पत्र में कथन किया है कि दुर्घटना में उसके बायें पैर की जांघ (femur bone joint) व बायें हाथ (closed distal end radius fracture with ulna styloid fracture) में गंभीर चोट लगने से फ्रेक्चर हुआ तथा शरीर पर जगह-जगह गंभीर एवं साधारण चोटें आईं । दुर्घटना के तुरंत पश्चात् उसे नाहटा हॉस्पीटल, बालोतरा ले जाया गया, जहाँ से रेफर करने पर उसे एम्स हॉस्पीटल, जोधपुर में भर्ती करवाया गया, जहाँ पर दिनांक 23.02.2022 से 28.02.2022 तक भर्ती रहकर दुर्घटना में लगी चोटों का ऑपरेशन किया गया । उसके बाद एम्स हॉस्पीटल, जोधपुर के डॉक्टरों द्वारा दी गई सलाह अनुसार निरंतर अंतराल पर जोधपुर जाकर इलाज करवाया गया । दुर्घटना में घायल होने के बाद वह 03 माह तक घर पर बेड रेस्ट में रहा । भविष्य में हाथ व पैर में तकलीफ होने पर उसे ऑपरेशन कर इलाज करवाना पड़ेगा व ऑपरेशन के दौरान लगाई गई स्टील की रॉड इत्यादि भी निकलवानी पड़ेगी । दुर्घटना में लगी गंभीर चोटों के कारण वह आज भी पूर्व की भांति कार्य नहीं कर पा रहा है । उसके इलाज में काफी व्यय हुआ एवं दुर्घटना में कारित चोटों के कारण उसे पौष्टिक खुराक का भी सेवन करना पड़ा । बार-बार इलाज हेतु आने जाने के लिए वाहन किराये पर भी लेना पड़ा है । प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसके कोई स्थायी निःशक्तता नहीं हुई है । यह स्वीकार किया है कि उसने कोई पर्ची पेश नहीं की है जिसमें उसे डॉक्टर द्वारा आराम करने की सलाह दी हो । यह स्वीकार किया है कि वर्तमान में उसके कोई इलाज नहीं चल रहा है, अजखुद कहा कि उसके बायें पांव में ऑपरेशन के वक्त डाली गई स्टील रॉड़ निकलवानी बाकी है ।

17. प्रार्थी के शरीर पर पाई गई चोटों को साबित करवाये जाने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य में चोट प्रतिवेदन प्रदर्श 06, एक्स-रे रिपोर्ट प्रदर्श 07, इलाज से संबंधित दस्तावेज, डॉक्टर की पर्चियाँ, जांचों व दवाइयों के बिल आदि प्रदर्श 19 लगायत प्रदर्श 66 व प्रदर्श 68 लगायत प्रदर्श 74 प्रदर्शित करवाये हैं । चोट प्रतिवेदन

प्रदर्श 06, एक्स–रे रिपोर्ट प्रदर्श 08 व डिस्चार्ज टिकट प्रदर्श 48 के अवलोकन से प्रार्थी के बायें पैर की जांघ व बायें हाथ में अस्थिभंग होकर 02 चोटें गंभीर प्रकृति की एवं 03 चोटें साधारण प्रकृति की कारित होना प्रकट होता है। प्रार्थी ने उसे उक्त दुर्घटना में कारित चोटों के कारण कोई स्थायी निर्योग्यता कारित नहीं होना बताया है। प्रार्थी के बायें पैर की जांघ व बायें हाथ में कारित अस्थिभंग की गंभीर चोटों (Fracture of single lower and upper limb) के लिए 65,000/– रुपये एवं 03 साधारण चोटों के लिए 10,500/– रुपये, कुल 75,500/– रुपये दिलाया जाना उचित है।

18. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत इलाज के दस्तावेजात से उसका नाहटा अस्पताल, बालोतरा एवं एम्स हॉस्पीटल, जोधपुर में इलाज करवाया जाना प्रकट होता है। प्रार्थी के अस्पताल में भर्ती करने के संबंध में दस्तावेज प्रदर्श 19 व प्रदर्श 48 के अवलोकन से दिनांक 23.02.2022 से 28.02.2022 तक 05 दिन उक्त अस्पताल में भर्ती रहकर इलाज करवाना एवं उसके गंभीर ऑपरेशन करना साबित होता है। आहत के कुल 05 दिन अस्पताल में भर्ती रहने पर प्रतिदिन सामान्य व्यय के रूप में 600/– रुपये के हिसाब से कुल 3,000/– रुपये तथा 05 दिन तक अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान एक सहयोगी/परिचारक (attendent) की सेवाओं के मध्यनजर प्रतिदिन 500/– रुपये के हिसाब से कुल 2,500/– रुपये परिचारक सेवा मद में दिलाया जाना उचित समझता हूं।

19. दुर्घटना में कारित हुई चोटों के इलाज करवाए जाने के संबंध में प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श 19 लगायत 64 व प्रदर्श 68 लगायत प्रदर्श 74 हैं, जिसमें जांच रिपोर्ट एवं इलाज के संबंध में चिकित्सीय परीक्षण, दवाइयों इत्यादि के बिल हैं जिनका समेकित योग 86,405/– रुपये है, जो दिलाना उचित है।

20. प्रार्थी ने इलाज हेतु आने–जाने में किये परिवहन व्यय के बिल प्रदर्श 21, 26, 47, 50, 52, 57, 58, 63 प्रस्तुत किये हैं जिसमें वर्णित परिवहन व्यय की राशि 29,000/– रुपये दिलाना उचित है।

21. प्रदर्श 72 के अवलोकन से प्रार्थी द्वारा दिनांक 12.09.2022 तक अर्थात् कुल 07 माह तक इलाजरत रहना प्रकट होता है तथा प्रार्थी के दुर्घटना में कारित हुई चोटों के कारण उसका कम से कम 01 वर्ष तक कार्य से अनुस्थित होना

माना जा सकता है । प्रार्थी द्वारा दुर्घटना के समय माजीसा मंदिर जसोल के बाहर माजीसा मार्केट में प्रसाद व मिठाई बिक्री का कार्य करके मासिक 30,000/– रुपये कमाना बताया है लेकिन आय व व्यवसाय के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है ऐसी स्थिति में प्रार्थी की एक अकुशल श्रमिक की आय मानते हुए दुर्घटना दिनांक 23.02.2022 को प्रवृत्त एक अकुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी रुपये 6,734/– के हिसाब से 01 वर्ष की आय की हानि के रूप में कुल 80,808/– रुपये प्राप्त करने का अधिकारी है ।

22. प्रार्थी को कारित चोटों के मध्यनजर उसे हुई शारीरिक व मानसिक कष्ट व पीड़ा के मद में कुल रुपये 50,000/– दिलाया जाना उचित समझता हूं एवं प्रार्थी को उसके कारित चोटों की स्थिति को देखते हुए चिकित्सीय परामर्श अनुसार कुछ समय के लिए पौष्टिक आहार भी लेना पड़ा होगा, जिसके लिए कुल 10,000/– रुपये दिलवाया जाना उचित है ।

23. उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी निम्न मुआवजा प्राप्त करने का अधिकारी पाया जाता हैः–

1.	गंभीर व साधारण चोटों के पेटे (65,000 + 10,500)	75,500/–
2.	अस्पताल में भर्ती रहने पर सामान्य मद में 05 दिन x 600/– प्रतिदिन	3,000/–
3.	अस्पताल में भर्ती रहने के दरम्यान एक सहायक की सेवओं के लिए 05 दिन x 500/– प्रतिदिन	2,500/–
4.	चिकित्सीय बिल	86,405/–
5.	परिवहन व्यय मद में	29,000/–
6.	आय की हानि मद में	80,808/–
7.	शारीरिक एवं मानसिक पीड़ा मद में	50,000/–
8.	पौष्टिक खुराक मद में	10,000/–
	कुल मुआवजा राशि	3,37,213/–

24. उपरोक्त अनुसार विवाद्यक संख्या 02 प्रार्थी के पक्ष में एवं अप्रार्थीगण के विरुद्ध तय किया जाता है ।

विवाद्यक संख्या 03

25. उक्त विवाद्यक को सिद्ध करने का भार अप्रार्थी संख्या 02 बीमा कंपनी

पर था । अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा उक्त विवाद्यक को साबित करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत कर विवाद्यक को साबित नहीं करवाया है, परन्तु दौराने बहस यह आपत्ति ली है कि वक्त दुर्घटना वाहन थर्ड पार्टी रिस्क कवर हेतु उनके यहाँ बीमित नहीं था बल्कि वाहन HDFC Ergo Gen. Ins. Co. Ltd. से थर्ड पार्टी रिस्क कवर हेतु बीमित था । अप्रार्थी संख्या 02 से उक्त वाहन केवल own damage के लिए ही बीमित था । अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा प्रस्तुत क्लेम याचिका के जवाब में ऐसी कोई आपत्ति नहीं ली है न ही कोई साक्ष्य ही इस आशय की पेश की है । मेरे विनम्र मत में अप्रार्थी बीमा कंपनी द्वारा प्रस्तुत जवाब में इस आशय की आपत्ति नहीं लिये जाने से कि वक्त दुर्घटना वाहन तृतीय पक्षकार की जोखिम को आवृत्त करने के लिए उनसे बीमित नहीं था एवं केवल बहस के दौरान यह आपत्ति उठाये जाने से यह साबित नहीं होता है कि वाहन तृतीय पक्ष की जोखिम हेतु बीमित नहीं हो। जिससे उक्त विवाद्यक अप्रार्थी संख्या 03 बीमा कंपनी के विरुद्ध विनिश्चित किया जाता है ।

अनुतोष

26. चूंकि विवाद्यक संख्या 01 व विवाद्यक संख्या 02 आंशिक रूप से प्रार्थी के पक्ष में एवं विवाद्यक संख्या 03 अप्रार्थी संख्या 02 बीमा कंपनी के विरुद्ध निर्णीत किये गये हैं जिससे प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत मुआवजा याचिका स्वीकार योग्य पाई जाती है तथा प्रार्थी 3,37,213/– रुपये बतौर क्षतिपूर्ति के अप्रार्थीगण संख्या 01 व 02 से संयुक्त व पृथक–पृथक रूप से प्राप्त करने का अधिकारी है ।

– आदेश –

27. अतः प्रार्थी मूलचंद की ओर से प्रस्तुत क्लेम याचिका अन्तर्गत धारा 166 मोटर वाहन अधिनियम, 1988 संशोधित अधिनियम 1994 स्वीकार कर प्रार्थी के पक्ष में राशि **3,37,213/–** (अक्षरे तीन लाख सैंतीस हजार दो सौ तेरह रुपये मात्र) का एवार्ड पारित किया जाता है ।

28. प्रार्थी, अप्रार्थीगण संख्या 01 व 02 से संयुक्ततः व पृथकतः कुल राशि **3,37,213/–** (अक्षरे तीन लाख सैंतीस हजार दो सौ तेरह रुपये मात्र) आवेदन प्रस्तुति दिनांक 27.07.2022 से तावसूली 07 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित

प्राप्त करने का अधिकारी है ।

29. पूर्व में दोषरहित दायित्व के अधीन अदा की गई राशि उपर्युक्त राशि में समायोजित होगी । अप्रार्थी उपरोक्त राशि का भुगतान 30 दिवस में करें । मुआवजा राशि जमा होने के बाद यदि एक माह की अवधि में प्रार्थी द्वारा क्लेम राशि प्राप्त किये जाने हेतु अधिकरण में आवेदन पेश नहीं किया जाये उस स्थिति में जमा संपूर्ण मुआवजा राशि अधिकरण के नाम 06 माह की अवधि के लिए सावधि खाते में जमा करवाई जाये । सावधि खाते में प्रकरण संख्या व प्रकरण का शीर्षक अंकित किया जाये । प्रार्थी अविलम्ब स्वयं का बचत खाता खुलवाकर पास बुक की नकल प्रस्तुत करे । जमाशुदा राशि प्रार्थी को जरिये बचत खाता अदा हो ।

30. इस राशि में से प्रार्थी के पक्ष में निम्नलिखित राशि विवरणिका में अंकित अवधि के लिए किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के सावधि खाते में जमा करवाई जावेः–

03 वर्ष हेतु	**06 वर्ष हेतु**	**कुल राशि**
1,00,000/–	1,00,000/–	2,00,000/–

31. शेष राशि 1,37,213/– रुपये एवं ब्याज, प्रार्थी को नकद अदा की जावे।

32. प्रकरण का खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे । उपरोक्तानुसार पर्चा एवार्ड मुर्तिब हो ।

(एम.आर.सुथार)
न्यायाधीश,
मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण,
बालोतरा

33. निर्णय आज दिनांक 01.09.2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(एम.आर.सुथार)
न्यायाधीश,
मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण,
बालोतरा